

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन

DR. D. S. S. S. S.

51,000/-

माह जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	आयवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
बाम-डोंगरा तह-भंडोली जिला-लियापु (डि.स)	बैंक टुक	भूमि उलका बागभठा	10 ब्राकर. बागभठा	रजम के बाहर	बिरासत	निरंक	भूमि एवं भवन की कुल मूल्य का अनुमान करा है	

* जहाँ साग न हो काल दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सागभा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 **** इसमें मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आ.व.प.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पौखण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की गा. अ.स. के द्वारा अधिगत भूदान उद्योगों/संस्थानों से मिली या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक या ग्राहक द्वारा अधिगत समस्त भूदान सम्पत्ति के व्यौर दें।

शा.सं.प्र.सं-2
 न.स.स.प्र.सं-14-2-2001-5,000.

रस्ताक्षर
 नाम
 पद
 दिनांक
 फ.सं.सं-07.01.2020